Government of Western Australia
Mental Health Commission

आपको अधिकार है:

- अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और अपने प्रश्नों के उत्तर लेने का
- एक नामित व्यक्ति को नामांकित करने का (नामित व्यक्तियों की विवरणिका देखें)
- अपने इलाज, समर्थन और छुट्टी की योजना बनाने में भाग लेने का
- गुप्तता और गोपनीयता का
- अपने मेडिकल रिकॉर्ड की पहुँच का (यह अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है)
- अन्य मनोचिकित्सक से और राय लेने का - आप अपने मनोचिकित्सक या मुख्य मनोचिकित्सक (फ़ो: 4462 08 9222) से इसकी व्यवस्था करने के लिए पूछ सकते हैं,
- मानसिक स्वास्थ्य पक्ष-समर्थन सेवा (मेन्टल हैल्थ एडवोकेसी सर्विस) की पहुँच का (फ़ो: 1800 999 057)। मानसिक स्वास्थ्य अधिवक्ता आप के अनैच्छिक रोगी बनने के 7 दिनों (बच्चों के लिए 24 घंटे) के भीतर स्वयं आपसे संपर्क करेंगे
- अपनी मानसिक स्वास्थ्य सेवा या स्वास्थ्य और विकलांगता सेवा शिकायत कार्यालय(हैल्थ एंड डिसेबिलिटी सर्विसिस् कम्पलेंट्स आफ़िस) (एचएडीएससीओ) को शिकायत करने का (फ़ो: 1800 813 583)
- अपने मामले की मानसिक स्वास्थ्य न्यायाधिकरण द्वारा समीक्षा किए जाने का (फ़ो: 08 6145 3900)। ट्रिब्यूनल आपके अनैच्छिक रोगी बनने के 5 सप्ताहों (बच्चों के लिए 10 दिन) के भीतर सुनवाई का कार्यक्रम रखेगा।

अतिरिक्त जानकारी

इस विवरणिका में दी गई जानकारी मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2014 में निर्धारित कानूनों से संबंधित है। अधिनियम के बारे में जानकारी निम्नलिखित पुस्तिकाओं के सेट में संक्षेप से दी गई है:

- जाँच के लिए एक मनोचिकित्सक के पास भेजा जाना
- भर्ती रोगी (इनपेशंट) उपचार आदेश
- सामुदायिक उपचार आदेश
- स्वैच्छिक रोगियों के लिए जानकारी
- मानसिक बीमारी का इलाज कराना
- निजी सहायक व्यक्तियों के लिए जानकारी
- नामित व्यक्ति: नामांकन कैसे किया जाए और इसका क्या मतलब है।

अन्य विवरणिकाएं:

- द मेन्टल हैल्थ ट्रिब्यूनल
- द मेन्टल हैल्थ एडवोकेसी सर्विस
- द मेन्टल हैल्थ लॉ सर्विस से उपलब्ध हैं।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2014 और अन्य संसाधनों के बारे में अधिक जानकारी के लिए मानसिक स्वास्थ्य आयोग (मेन्टल हैल्थ कमीशन) की वेबसाइट www.mhc.wa.gov.au पर जाएँ या (08) 6272 1200 पर फ़ोन करें।

This document can be made available in other languages and alternative formats on request.

Published by the Mental Health Commission (2015)

सामुदायिक उपचार आदेश

सामुदायिक उपचार आदेश (फ़ॉर्म 5ए) समुदाय में आपको एक अनैच्छिक रोगी के रूप में उपचार प्राप्त करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2014 के अंतर्गत एक आदेश है।

यह विवरणिका आपको जानकारी प्रदान करती है कि आपके क्या अधिकार हैं और आप क्या आशा कर सकते हैं यदि आप सामुदायिक उपचार आदेश के अधीन हैं।

सामुदायिक उपचार का आदेश क्यों दिया था?

यदि आप सामुदायिक उपचार आदेश (फ़ॉर्म 5 ए) के अधीन हैं तो यह इसलिए क्योंकि एक मनोचिकित्सिक ने आप की जांच की और निर्णय किया कि:

- आप इतने स्वस्थ नहीं हैं कि उपचार के बारे में निर्णय ले सकें
- आपको इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत नहीं है, और
- सामुदायिक उपचार आदेश के अलावा आपको उपचार उपलब्ध कराने का कोई कम प्रतिबंधक रास्ता नहीं है?
- you are not well enough to be able to make a decision about treatment,
- you do not need to be admitted to a hospital to get treatment, and
- there is no less restrictive way of providing you with treatment other than a community treatment order.

सामुदायिक उपचार आदेश का आपके लिए क्या मतलब है?

सामुदायिक उपचार आदेश का मतलब है कि आप समुदाय में रहना जारी रख सकते हैं (उदाहरण के लिए घर पर या एक होस्टल में), हालांकि आप एक अनैच्छिक रोगी हैं और आपको वह उपचार स्वीकार करना पड़ेगा जिसकी योजना आपके लिए बनाई गई है।

महीने में कम से कम एक बार आपकी अपने देख-रेख करने वाले मनोचिकित्सिक या एक और चिकित्सिक द्वारा जाँच होगी, और आपको इन के लिए जाना होगा। आपको अपने देख-रेख करने वाले मनोचिकित्सिक द्वारा किए गए सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए। ये आपके सामुदायिक उपचार आदेश की निर्धारित शर्तों में दिए गए हैं।

यदि आप आदेश का क्या पालन नहीं करते तो क्या होगा?

यदि आप अपने आदेश का पालन नहीं करते (उदाहरण के लिए अपनी अपॉइन्ट्मेन्ट पर न जाना या अपनी उपचार योजना का अनुसरण न करना), और आपके मनोचिकित्सिक ने इसका पालन करने के लिए आपसे सभी उचित कदम उठवाए हैं, तो आप सामुदायिक उपचार आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं।

आपका मनोचिकित्सिक आपको यह बताते हुए 'आदेश भंग करने की सूचना' देगा कि आपने पालन नहीं किया है और आपको पालन करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है।

यदि आप अभी भी आदेश का पालन नहीं करते तो आपको 'उपस्थिति होने का आदेश' (ऑर्डर टु अटेंड) भेजा जा सकता है, जो आपके इलाज के लिए एक विशेष जगह (जैसे कि एक क्लिनिक या अस्पताल), एक विशेष समय पर जाने का आदेश देने का फ़ॉर्म होगा। यदि आप अभी भी पालन नहीं करते है, तो एक पुलिस अधिकारी या एक परिवहन अधिकारी को आपको लेने और जिस जगह पर आपका उपचार किया जाएगा, वहां आपको ले जाने के लिए भेजा जा सकता है।

सामूदायिक उपचार आदेश कब तक रहता है?

सामुदायिक उपचार आदेश 3 महीने तक चल सकता है। आदेश की अंतिम तिथि फ़ॉर्म 5 ए पर लिखी होगी, जिसकी एक प्रति आपको मिल जाएगी।

आदेश के अंतिम सप्ताह में, आपकी देख-रेख करने वाला मनोचिकित्सिक यह फैसला करेगा कि क्या आदेश जारी रखने की ज़रूरत है। मनोचिकित्सिक 3 महीने तक आदेश जारी रख सकता है। सामुदायिक उपचार आदेश को जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार जारी रखा जा सकता है जब तक कि आप इतने स्वस्थ नहीं हो जाते कि आपको अब अनैच्छिक इलाज की ज़रूरत नहीं है।

यदि आप इस बात से सहमत नहीं कि आपका आदेश जारी रखा जाना चाहिए तो आप अपने मनोचिकित्सिक से एक अन्य मनोचिकित्सिक की और राय लेने की व्यवस्था करने के लिए पूछ सकते हैं। दूसरे मनोचिकित्सिक को यह तय करने के लिए कि आदेश जारी रखा जाए या नहीं, आपको 14 दिन के अन्दर देखना पड़ेगा। यदि आप एक और राय माँगते हैं लेकिन नहीं मिलती तो आदेश जारी नहीं रखा जा सकता (जब तक कि और राय प्रदान न की गई हो क्योंकि आप अपॉइन्ट्मेन्ट पर नहीं गए, उस स्थिति में आदेश जारी रहेगा)।

सामूदायिक उपचार आदेश कैसे खत्म होता है?

आपका सामुदायिक उपचार आदेश अब लागू नहीं होगा यदि:

- यह समाप्त हो रहा है और जारी नहीं रखा गया है, या
- किसी भी समय जब मनोचिकित्सिक निर्णय लेता है कि आप इतने स्वस्थ हैं कि सामुदायिक उपचार आदेश रद्द कर दिया जाए, या
- आपका मनोचिकित्सिक आप की जाँच करता है और फैसला करता है कि आपको अस्पताल में इलाज की ज़रूरत है और इनपेशंट उपचार का आदेश देता है, या
- मानसिक स्वास्थ्य न्यायाधिकरण (मेन्टल हैल्थ ट्रिब्यूनल) आपके मामले की समीक्षा करता है और फैसला करता है कि आपको अब एक अनैच्छिक रोगी बनने की आवश्यकता नहीं।